न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी निग-1569-I-16

धर्मेन्द्र सिंह जाट पुत्र राजेश सिंह वार्ड क्रमांक 4, निवासी–इन्द्रगढ़ दतिया (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

1. सीताराम पुत्र बदली कुशवाह
   निवासी–इन्द्रगढ़ जिला दतिया (म.प्र.)
2. गोपालदास पुत्र बदली कुशवाह
   नवासी–इन्द्रगढ़ जिला दतिया (म.प्र.)
3. श्रीमती उमा पत्नी कामताप्रसाद
   निवासी–इन्द्रगढ़ जिला दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

"निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व विरुद्ध आदेश माननीय तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला दतिया के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 06/अ–70/15–16 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016"

माननीय,

आवेदक निम्न प्रकार से विनम्र निवेदन करता है :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 250 म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 15.01.16 को अनावेदक सीताराम पुत्र बदली कुशवाह, श्रीपाल दास पुत्र बदली कुशवाह, श्रीमती उमा द्वारा धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि सर्वे क्रमांक 1693 रकवा 1.927 है भूमि के नक्शे में की गई तरमीम बटांकन निरस्त किया जावे।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/1569/एक/2016/ जिला-दतिया

धर्मेन्द्र विरूद्ध सीताराम

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/4/2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। 2- यह निगरानी तहसीलदार इन्दरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 06/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31.03.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया गया है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में निगरानी विधि विपरीत होने से निरस्त कर अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। 5- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी मेमो में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31.03.16 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना हो। प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31.03.16 में मात्र यह अंकित किया गया है कि "प्रकरण पेश। जबाब पेश। प्रचलन शीलता पर तर्क हेतु"। इस प्रकार अभी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण की प्रचलन शीलता पर तर्क हेतु नियत है जहां पर उभयपक्ष को अपनी बात कहने एवं अपना पक्ष रखने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर उपलब्ध है। उभयपक्ष अपना-अपना पक्ष अधीनस्थ	

प्रकरण क्रमांक निग/1569/एक/2016/ जिला-दतिया

धर्मेन्द्र विरूद्ध सीताराम

न्यायालय के समक्ष रख सकते है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ऐसा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक आधार नहीं है जिसके आधार पर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31.03.16 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य